कार्यालय कलेक्टर जिला देवास,(म.प्र.)

कमांक / 134 / लेखा / 2017 देवास,दिनांक 23/12/2017

—:: आदेश ::—

म.प्र.वित्त संहिता भाग—2 के परिशिष्ठ 8 के नियम 43 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं आशीष सिंह कलेक्टर, जिला देवास म.प्र.शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक 1303/आर—5/92/नि—5 चार दिनांक 30.06.1992 में दिये गये निर्देशानुसार एवं श्रम आयुक्त म.प्र.शासन इन्दौर अधिसूचना कं. 6/ 11/ अन्वे./पॉच /2015/ 39074—39273 इन्दौर दिनांक 28.09.2017 के अनुसार म.प्र.न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत आकस्मिक निधि से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों के लिये निम्नानुसार मासिक व दैनिक वेतन दरे देवास जिले के लिये दिनांक **1.10.2017 से 31.3.2018** तक के लिये निर्धारित करता हूँ ।

यह दरें सभी विभागो में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगी । यह दरें मूल्य सूचकांक पर आधारित है, जो किसी भी समय शासन द्वारा महंगाई भत्ते की दरों में परिवर्तन किया जा सकता है । **1.10.2017 से 31.3.2018** तक

01.04.2017 से 30.09.2017 तक			नोटः— दिनांक 1.10.2017 से 31.3.2018 तक पूर्व दिनांक 1.4.2017 से जारी दरे यथावत है।				
कर्मचारी का वर्ग	कुल वेतन		न्यूनतम कुल वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		न्यूनतम कुल वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	कुल वेतन		रूपये राउन्ड मे
					प्रतिमाह रू0 पैसे	प्रतिदिन रू0 पैसे	
1	2	3	4	5	6	7	8
अकुशल	7125.00	237.50	625.00	20.83	7125.00	237.50	238.00
अर्धकुशल	7982.00	266.10	925.00	30.83	7982.00	266.10	266.00
कुशल	9360.00	312.00	925.00	30.83	9360.00	312.00	312.00
उच्च कुशल	10660.00	355.33	925.00	30.83	10660.00	355.33	355.00

विशेष टीपः— उपयुक्त अनूसूची—"क" में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिको को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटोत्री नही की जा सकेगी।

1. कर्मचारियों के प्रकार विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, ऐसे वर्ग के कर्मचारी भी है जो इस अधिसूचना मे शामिल नही है के लिये न्यूनतम वेतन की दरें वहीं होगी को समान प्रवृत्ति को काम करने वाले कर्मचारी को देय है । कुशल, अर्द्ध कुशल, कर्मचारियों की व्याख्या , अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिको /कर्मचारियों में वर्गीकरण की सूची पूर्वनुसार रहेगी ।
2. किसी भी स्थापना अथवा उपकम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचना न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तन शील महंगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि आदेश का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपकम द्वारा देय न्युनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महॅगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होगा।
3. न्यूनतम दरो में न्यूनतम मजदूरी अधि0 1948 कमांक 11 सन् 1948 की धारा उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

(आशीष सिंह)
कलेक्टर
जिला देवास (म0प्र0)

cont.rate.doc